न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा (खैरथल–तिजारा राज0
पीठासीन अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
58 / 25	04.08.2025	11/05/2026

बउनवान :–

1– भूपसिंह पुत्र श्री परसादी जाति अहीर निवासीगण ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

———:: **प्रार्थीगण**

बनाम

1–राज्य सरकार, जरिये पैरोकार भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

2–अमरसिंह पुत्र श्री डालूराम जाति अहीर निवासी ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा

———::**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
–:: निर्णय ::–

दिनांक 11/05/2026

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 456 / 196 रकबा 0.1467 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजी की जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी के साथ लगती हुई भूमि अप्रार्थी सं. 2 की हाल आराजी खसरा नं. 457 / 196 रकबा 0. 0733 हैक्टेयर है। अप्रार्थी सं. 2 जो कि मिन प्रार्थी से दिली रंजिश रखते है और अपनी आराजी की आड में मिन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को जबरन अपनी आराजी में मिलाने को प्रयासरत रहे है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार, टपूकडा को ऑनलाईन आवेदन टोकन नं. 2025 / 33734 / 7 दिनांक 01.07.2025 को पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन किया। तहसीलदार टपूकडा के आदेश की अनुपालना में हल्का पटवारी व कानूनगो दिनांक 09.07.2025 को उक्त हाल आराजी खसरा नम्बर 456 / 196 रकबा 0.1467 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर में मौके पर सीमाज्ञान करने हेतु पहुँचा। मौक पर खसरा नं. 456 / 196 के खातेदार एवं अन्य मोतविरान उपस्थित हुए । मोके पर डीजीपीएस मशीन की सहायता से सर्वे कार्य किया गया। मु० सर्वे

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

अनुसार नक्शा लटठा व मौका अनुसार खसरा नं. 201, 210, 206 की मेढ पर बना तिमेडा, खसरा नं. 210 की मेढ, खसरा नं. 223, 224, 222 की मेढ पर बने तिमेडे आदि सही पाये गये। जिन्हें मुस्तिकिल बिन्दु मानते हुए खसरा नं. 456/196 के निशानात लगवाये गये। मौका मर्चा मौका पर तैयार कर पढ़कर सुनाया गया एवं उपस्थित जनो के हस्ताक्षर अगूँझ करवाये गये तथा हल्का पटवारी ने अपने हस्ताक्षर किये। जिस मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 09.07.2025 की प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी के पडौसी काश्तकार अप्रार्थी सं. 2 जो कि बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थी के हिस्से की भूमि को मिलाकर प्रार्थी के हकूको को जायल करने की जुस्तजू में है तथा पूर्व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है। जबकि जबकि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी से पडौसी काश्तकार अप्रार्थी सं. 2 का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए न्यायहित में हाल आराजी खसरा नम्बर 456/196 रकबा 0.1467 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा, की पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिए मिन प्रार्थी को न्याय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (लैण्ड रेवेन्यु एक्ट) पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 09.07.2025 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 456/196 रकबा 0.1467 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा, कराई जावें। आपकी महति कृपा होगी।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 समन नोटिस तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार टपूकडा द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 प्रार्थी स्वयं अपने दस्तावेजात व सबूतो से सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 02 आंशिक स्वीकार है, प्रार्थी अपनी एवं अप्रार्थी सं. 02 की आराजी को अपने व अप्रार्थी सं. 02 के दस्तावेजात से सिद्ध करें, तथा इस तथ्य को भी कि अप्रार्थी सं. 02 प्रार्थी से दिली रंजिश रखता हैं ओर अपनी आराजी की आड में प्रार्थी की आराजी को मिलाने के लिये प्रयासरत है, प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे, अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रार्थी की आराजी का विधिसम्मत तरीके से दिनांक 09.07.25 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 3 जिस कदर बयान किया गया है, वो गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थी स्वयं अपने दस्तावेज व सबूतो से सिद्ध करे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश कर निवेदन है कि मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 09.07.2025 के अनुसार आ.ख.नं. 456/196 रकबा 0.1467 है0 वाके ग्राम बनबीरपुर बाबत् श्रीमान् द्वारा पारित अग्रिम आदेश की पालना करने के लिये तैयार व तत्पर रहूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि पैरा संख्या-1 गलत है स्वीकार नही है। आराजी खसरा नं० 456/196 रकबा 0.1467 हैक्टे० वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा में स्थित नहीं है। जबकि आराजी खसरा नं0 196 वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा मे स्थित है। आराजी से प्रार्थी का कोई किसी प्रकार का सरोकार वो सम्बंध या कब्जा नहीं है। आराजी पर प्रार्थी पहले कभी काबिज था ना ही अब काबिज है। पैरा संख्या-2 जिस प्रकार ब्यान किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी सं० 2 अपनी आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा आराजी की पैमाईश का कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। आराजी

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)

पर राजस्व कर्मचारीयो की कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची ना ही आराजी का कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ है। ना ही मौके पर कोई मशीन चलायी गयी। मौके पर कोई किसी भी प्रकार का कोई निशानात लगाया गया। मौके पर कोई भी पढ़ाया सुनाया गया ना ही मौके पर कोई उपस्थित रहा । प्रार्थना पत्र के साथ झुठी सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई है। पैरा संख्या–3 जिस प्रकार ब्यान किया था है गलत है स्वीकार नही है। अप्रार्थी सं० 2 अपनी आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा झुठी पैमाईश व मौका पर्चा रिपोर्ट पेश की गयी है। प्रार्थी आराजी पर काबिज नहीं है जबकि अप्रार्थी सं० 2 अपनी खातेदारी की भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है। आराजी खसरा नं0 456/196 रकबा 0.1467 हैक्टे० वाके ग्राम बनबीरपुर में स्थित नही है। जिसकी पत्थर गढी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी विवादित आराजी का गैरकाबिज व गैरवास्ता है अतः प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी शुदहस्त होकर नही आया है बल्कि बदयान्ती से विवादित आराजी को हडपने की नियत से मृत व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज की जावे।

उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 09.07.2025 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 456/196 रकबा 0.1467 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की पत्थरगढी कराई जावे कथनों का दोहराया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का अवलोकन मनन किया। किसी भी खातेदार को अपने रिकार्ड में धारित रकबे का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगढी करवाने का अधिकार होता है। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवा लिया है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.07.2025 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 456/196 रकबा 0.1467 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टपूकडा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आदेश दिनांक 11/05/2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टपूकडा (खैरथल–तिजारा)

(लखित सिंह गुर्जर R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,
टपूकडा (खैरथल–तिजारा)